बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्षः 23 ● अंकः 174 ● नई दिल्ली ● वीरवार 10 जुलाई 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्यः 3 रूपया ● पृष्ठः 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागारिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

दिल्ली दंगा 2020: आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, दिल्ली पुलिस से पूछा सवाल

नई दिल्ली। दिल्ली दंगा 2020 के मामले में आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट में अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया है। मंगलवार को सुनवाई में अदालत में दिल्ली पुलिस से पूछा था कि फरवरी 2020 के दंगों से जुड़े आरोपी कब तक जेल में रहेंगे। जबकि पांच साल बाद भी इस मामले में आरोप तय करने पर बहस अभी तक पूरी नहीं हुई है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने यह सवाल तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस से पूछा। अहमद पर सख्त गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दंगों में कथित बड़ी साजिश का आरोप है।

वकीलों को समन भेजने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, खुद लिया संज्ञान; जांच एजेंसियों पर उठाए सवाल

नई दिल्ली।

देश की सर्वोच्च अदालत ने वकीलों को जांच एजेंसियों द्वारा समन भेजने की घटनाओं को गंभीरता से लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर खुद संज्ञान लेते हुए स्वतः संज्ञान में मामला शुरू किया है. अदालत यह तय करेगी कि क्या सिर्फ कानूनी सलाह देने वाले वकीलों को सीधे जांच एजेंसियों द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है या नहीं. मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ 14 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगी, जब ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत फिर से खुलेगी। हालांकि, जांच एजेंसी ने बाद में अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने मुवक्किलों के खिलाफ धन शोधन की जांच में किसी भी वकील को समन जारी न करें। ईडी ने 20 जून को जारी एक पत्र में आगे कहा कि इस नियम में कोई भी अपवाद केवल उसके निदेशक की अनुमति के बाद ही किया जा सकता है। यह मामला तब सामने आया जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वरिष्ठ वकीलों अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को समन भेजा. दोनों वकीलों ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड को एक कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना पर कानूनी राय दी थी. यह योजना रिलिगेयर एंटरप्राइजेज की पूर्व अध्यक्ष रश्मि सलूजा से जुड़ी थी. वकीलों को समन भेजे जाने पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) और सुप्रीम कोर्ट

एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) ने कड़ा विरोध दर्ज कराया. ईडी ने वरिष्ठ वकीलों अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को तलब किया था। 25 जून को न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि वकीलों को सीधे समन भेजना न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता के लिए खतरा है. अदालत ने कहा कि वकील न केवल प्रशासनिक न्याय का हिस्सा हैं, बल्कि उन्हें बिना डर के काम करने की आजादी होनी चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मुद्दा सिर्फ एक पेशेवर पर असर नहीं डालता, बल्कि पूरी न्याय प्रणाली पर असर डालता है. सुप्रीम कोर्ट ने दो अहम सवाल उठाए हैं. पहला, जब कोई व्यक्ति केवल कानूनी सलाह देता है, तो क्या उसे जांच एजेंसी सीधे समन कर सकती है? दूसरा, अगर किसी वकील की भूमिका वकील से बढ़कर है, तब भी क्या उसे सीधे समन करना उचित है या न्यायिक निगरानी जरूरी है? कोर्ट ने कहा कि इन सवालों पर व्यापक चर्चा और नीतिगत स्पष्टीकरण जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील न केवल अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत पेशे का अधिकार रखते हैं, बल्कि उन्हें पेशे से जुड़े विशेषाधिकार और सुरक्षा भी मिलती है. अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है, जिसमें एक वकील को पुलिस द्वारा समन किए जाने को सही ठहराया गया था. कोर्ट ने राज्य सरकार को तब तक वकील को न बुलाने का आदेश दिया है.

इस अहम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और दोनों वकील संगठनों के अध्यक्षों से राय मांगी है. यह मामला 14 जुलाई को गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. सुप्रीम कोर्ट की यह पहल कानूनी पेशे की स्वतंत्रता और न्याय व्यवस्था की गरिमा को बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है.

‘उदयपुर फाइल्स’ पर बवालः हाईकोर्ट ने स्पेशल स्क्रीनिंग कराने का निर्देश दिया, मूवी से हटाए गए आपत्तिजनक हिस्से

नई दिल्ली।

दिल्ली हाईकोर्ट ने उदयपुर फाइल्स फिल्म के स्पेशल स्क्रीनिंग कराए जाने का निर्देश दिया है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने दिल्ली हाईकोर्ट में फिल्म को रोके जाने की मांग की थी। बुधवार को सुनवाई में सेंसर बोर्ड की तरफ से अदालत को बताया गया कि संबंधित आपत्तिजनक हिस्से को हटा दिया गया है। उसके बाद हाई कोर्ट ने संबंधित पक्ष के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखने का निर्देश दिया है। कन्हैयालाल की हत्या के पीछे कथित तौर पर एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट का समर्थन करना कारण बताया गया था, जिसके बाद दो हमलावरों ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस घटना ने देशभर में तनाव पैदा कर दिया था, जिसके बाद कर्फ्यू और इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी थीं। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से वकील फुजैल अहमद अय्यूबी ने याचिका दायर कर आरोप

लगाया है कि फिल्म के ट्रेलर में पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नियों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां की गई हैं।

जमीयत उलमा-ए-हिंद ने उदयपुर फाइल्स फिल्म के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी। मौलाना अरशद मदनी ने फिल्म को नफरत फैलाने वाली और एक विशेष समुदाय को बदनाम करने की साजिश करार दिया। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका में दावा किया गया कि फिल्म एक खास धार्मिक समुदाय को बदनाम करती है और समाज में नफरत फैलाने का खतरा पैदा कर सकती है। याचिका में दावा किया गया है कि फिल्म में भाजपा नेता नूपुर शर्मा के विवादित बयान और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी शामिल किया गया है, जो वर्तमान में कोर्ट में लंबित है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म का उद्देश्य एक खास समुदाय को नकारात्मक और पक्षपाती तरीके से पेश करना है, जो उनके सम्मान और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकता है। फिल्म में देवबंद को कट्टरवाद का अड्डा बताने और वहां के उलेमा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का भी आरोप लगाया गया है।

जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि यह फिल्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग है और इस्लाम, मुसलमानों या देवबंद से इसका कोई लेना-देना नहीं है। फिल्म को सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र मिलने के बाद 11 जुलाई को रिलीज करने की योजना है। याचिका में केंद्र सरकार, सेंसर बोर्ड, जॉनी फायर फॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक्स कॉर्प्स को पक्षकार बनाया गया है, जो फिल्म के निर्माण और वितरण से जुड़े हैं।

पीएम मोदी के दौरे के बीच, कांग्रेस को सैम नुजोमा के साथ पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी की मुलाकात आई याद

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नामीबिया दौरे पर हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने नामीबिया के महान नेता सैम नुजोमा के साथ पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मुलाकात को याद किया। साथ ही कांग्रेस ने नामीबिया की आजादी और भारत द्वारा उसके समर्थन का भी जिक्र किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि सैम नुजोमा, जो नामीबिया की 1990 में आजादी के बाद से साल 2005 तक वहां के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने साल 2000 में ओकाहाओ में इंदिरा गांधी क्लीनिक की स्थापना की थी। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील के बाद अब सुपर प्रीमियम लगातार उड़ान भरने वाले प्रधानमंत्री आज नामीबिया में हैं। उन्होंने बताया कि नामीबिया को 21 मार्च 1990 को आजादी मिली थी। रमेश ने लिखा कि कई वर्षों तक भारत ने सैम नुजोमा और साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन दिया। स्वैपो ने नामीबिया की आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुनिश्चित किया कि सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुए पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में सैम नुजोमा भी शामिल हों। जयराम रमेश ने याद करते हुए कहा कि नुजोमा पहली बार मार्च 1983 में इंदिरा गांधी के निमंत्रण पर भारत आए थे और उन्होंने सातवें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। उस शिखर सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और नुजोमा ने 24 मई 1986 को स्वैपो का पहला दूतावास नई दिल्ली में खोलने के लिए फिर से भारत का दौरा किया। अगस्त 1986 में हरारे में आयोजित हुए आठवें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में नुजोमा की तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मुलाकात हुई। जयराम रमेश ने कहा कि नुजोमा मार्च 2005 तक नामीबिया के राष्ट्रपति थे। फरवरी 2000 में उन्होंने राजधानी विंडहोक से करीब 800 किलोमीटर दूर स्थित ओकाहाओ में इंदिरा गांधी क्लीनिक की स्थापना की। वर्षों से इस क्लीनिक को भारत का समर्थन हासिल है।

अब 1 नवंबर से लागू होगा पुराने वाहनों पर फ्यूल प्रतिबंध, सौरभ भारद्वाज बोले- अगर सरकार की...

नई दिल्ली।

दिल्ली में पुराने या एंड ऑफ लाइफ वाहनों को पेट्रोल-डीजल भरवाने से रोकने के नियम में एक बार फिर से बदलाव किया गया है. यह निर्णय अब 1 नवंबर से लागू किया जाएगा. यह घोषणा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मंगलवार को की. इससे पहले यह फैसला 1 जुलाई से लागू होना था, जिसे अब टाल दिया गया है. इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने एएनआई के दिए बयान में कहा, बीजेपी की सरकार हर दिन झूठ बोलती है. एक मार्च को सरकार बने अभी एक हफ्ता ही हुआ था और इनके मंत्री ने मीडिया में घोषणा कर दी कि 31 मार्च से पुराने वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा. फिर इस तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया और खूब ढोल पीटा गया कि दिल्ली को अब प्रदूषण मुक्त बनाएंगे. भारद्वाज ने कहा कि जब आम जनता और आप पार्टी ने इसका विरोध किया, तब आनन-फानन में फैसला वापस लेना पड़ा. सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि अब ट्रकरूके पत्र ने बीजेपी सरकार की पोल खोल दी है. उन्होंने कहा, "CAQM ने एनसीआर के राज्यों के विभागों के साथ मिलकर फैसला किया था कि 1 जुलाई से पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा. इसका मतलब है कि ये सभी राज्य सरकारें इस साजिश में शामिल थीं. अब ये सिर्फ नाटक कर रहे हैं और यह साजिश वाहन डीलरों और कार निर्माताओं को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है. भारद्वाज ने यह भी कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ होती, तो वे संसद में अध्यादेश लाकर नया कानून बनाते. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता की नहीं, बल्कि उद्योगपतियों और कार कंपनियों की हितैषी बन चुकी है. दिल्ली की हवा को लेकर राजनीति की जा रही है, जबकि स्थायी समाधान के लिए ठोस नीति की जरूरत है. बता दें कि यह प्रतिबंध अब दिल्ली के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के 5 अधिक वाहन घनत्व वाले जिलों- गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत- में एक साथ लागू होगा.

दिल्ली में कांवड़ मार्ग में बंद रहेंगी मीट की दुकानें, मंत्री कपिल मिश्रा ने किया साफ

नई दिल्ली।

कांवड़ शिविरों की समीक्षा बैठक में दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली से लगभग 2.5 करोड़ कांवड़ यात्री निकलते है और लाखों दिल्लीवासी भी कांवड़ लेकर आते है। उनके स्वागत की भव्य तैयारियां है। नगर निगम भी हमारे साथ है और इस बार ऐतिहासिक स्वागत होगा। भव्य स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विशेष निर्देश हैं, सहायता राशि कांवड़ समितियों के खाते में जमा की जा रही है। पहली बार मुफ्त बिजली दी जा रही है और इसके साथ ही सिंगल विंडो क्लियरेंस का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कपिल मिश्रा ने साफ किया कि सरकार और नगर निगम ने कांवड़ मार्ग में मीट की दुकानें बंद करने का फैसला लिया है। दूसरी ओर जंगपुरा से भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली में कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी शराब और मांस की दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करने का अनुरोध किया था। विधायक ने कहा था कि शराब और मांस की दुकानों पर अस्थायी प्रतिबंध यात्रा की पवित्रता का सम्मान करेगा और किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकेगा। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राज्य में कांवड़ यात्रा मार्ग पर कोई मांस न बेचा जाए। 26 जून को सरकार ने यह भी आदेश दिया कि तीर्थयात्रा मार्ग पर सभी भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने होंगे। हिंदू कैलेंडर के पवित्र महीने सावन के दौरान श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल लेकर विभिन्न मंदिरों में भगवान शिव को चढ़ाने के लिए कांवड़ यात्रा करते हैं। इस साल कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होगी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य मारवाह ने कहा कि श्री गुरु सिंह सभा एक धार्मिक संस्था है, जो सभी धर्मों का सम्मान करती है। उन्होंने पत्र में लिखा, ''हम अपील करते है कि कांवड़ यात्रा के निर्धारित मार्गों पर मांस और शराब की दुकानें अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएं, ताकि इसकी पवित्रता बनी रहे और कोई अप्रिय घटना न हो।'

अरविंद केजरीवाल बोले, मुझे तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, एलजी के रहते मैंने दिल्ली में काम कराया

नई दिल्ली। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को आज आम आदमी पार्टी याद आ रही है. बीजेपी की सरकार ने चार महीनों में बेड़ा गर्क कर दिया. एक के बाद एक मोहल्ला क्लिनिक बंद करते जा रहे हैं. अस्पतालों में हमने दवाइयां फ्री की थीं उसे बंद कर दी. फ्री टेस्ट बंद कर दिए. दिल्ली का बुरा हाल हो गया है. सारी सड़कें टूट गई हैं. चारों तरफ गंदगी फैल गई है. मोहाली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, छह छह घंटे के पावर कट लगने लगे हैं. पिछले सात सालों से दिल्ली में एक मिनट का पावर कट नहीं लगा था. अभी बारिशों का दिन है, अभी भी पावर कट लग रहे हैं. इनकी नीयत खराब है. हर मंत्री ने अपनी दुकान खोल ली है. उन्हें पैसा कमाना है, उन्हें सुधार करने से कोई मतलब नहीं है. इसके आगे उन्होंने कहा, जितने दिन हमारी सरकार रही हमें काम नहीं करने दिया. इसके बावजूद हमने काम किया. इस पर तो मुझे लगता है कि गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते मैंने दिल्ली में इतने सारे काम कर दिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2014 में जून में नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री बने थे. आठ-आठ घंटे रात में दिल्ली में बिजली जाया करती थी. हम 2013 का चुनाव बिजली आंदोलन से जीते थे. 2013 में जब पहली बार सरकार बनी, उसके पहले पूरी दिल्ली में घूम घूमकर मैंने 15 दिनों का अनशन किया था. अरविंद केजरीवाल ने कहा, हजारों रुपये के लोगों के बिजली बिल आ रहे थे. लोगों से बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे थे. खंभे पर चढ़कर मैंने जो तार जोड़े थे, आज भी वो तस्वीर लोगों को याद है.

बिजली लोगों के पहुंच के परे थी. पानी नहीं आता था बिल आते थे. 15-20 हजार के बिल आते थे. ये सारा अनुभव लेकर हम सरकार में गए थे. आप के राष्ट्रीय संयोजक ने आगे कहा, आम आदमी को क्या चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल जाए, घर में कोई बीमार हो तो उसका अच्छा इलाज मिल जाए, हमने तय किया कि 200 युनिट बिजली हर परिवार को मुफ्त देंगे. 20 हजार लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त देंगे. हमने तय किया कि स्कूल और अस्पताल ठीक करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम तो छोटे लोग हैं. जितना लोगों ने मौका दिया उतना काम किया. लेकिन हमने हवा उल्टी कर दी. जो पहले कहा करते थे कि स्कूल प्राइवेट होने चाहिए, वो आज भी स्कूलों की बात कर रहे हैं. पहले कहते थे अस्पताल प्राइवेटाइज होने चाहिए, वो भी आज अस्पतालों की बात करने लगे हैं.

10 जुलाई को रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह, क्या नीतीश होंगे शामिल?

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 जुलाई को रांची में महत्वपूर्ण पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि बैठक में भाग लेने वाले पूर्वी राज्यों झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक की तैयारी के लिए, रांची में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए है, और शाह बुधवार शाम को रांची पहुँचेंगे। बैठक में विविध और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। खासकर यौन अपराधों की त्वरित जाँच और फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के कार्यान्वयन पर शामिल है। चर्चा के महत्वपूर्ण विषयों में क्षेत्र में पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी नियोजन को आगे बढ़ाना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारी संघवाद की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है, और ये परिषदें संबंधित राज्यों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सलाहकार निकायों के रूप में कार्य करती हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक गुरुवार सुबह 11 बजे रांची के रेडिसन ब्लू होटल में होगी। इस बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहनचरण मांझी और बिहार व पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। बिहार सरकार के दो मंत्री विजय चौधरी और सम्राट चौधरी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। नीतीश कुमार के शामिल होने की संभावना कम है। ओडिशा से मुख्यमंत्री मोहनचरण मांझी शामिल होंगे; उनके साथ उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा और मंत्री मुकेश महालिंगम भी मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य करेंगी। एजेंडे में बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बीच लंबित अंतर-राज्यीय मुद्दों पर चर्चा और पिछली परिषद बैठकों में लिए गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा शामिल है। झारखंड सरकार केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपये के लंबित बकाये की मांग भी कर सकती है। वह उन 17 जिलों में सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) निधि की बहाली की भी मांग करेगी, जिन्हें पहले वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन अब उन्हें सूची से हटा दिया गया है, जिसके कारण एसआरई सहायता बंद हो गई है।

आईजीआई बना दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाईअड्डा, 2023 के मुकाबले एक पायदान ऊपर

नई दिल्ली। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा 2024 में दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाईअड्डा बन गया है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) की ओर से मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली एयरपोर्ट पिछले साल 7.78 करोड़ से अधिक लोगों ने यात्रा की, जिससे यह 2023 के मुकाबले एक पायदान ऊपर चढ़ गया। एसीआई की सूची में अमेरिका का अटलांटा हवाईअड्डा 10.8 करोड़ यात्रियों के साथ पहले स्थान पर रहा। दूसरे और तीसरे स्थान पर दुबई एयरपोर्ट (9.23 करोड़ यात्री) और अमेरिका का डलास/फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट (8.78 करोड़ यात्री) रहे। रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में वैश्विक यात्री यातायात 9.4 अरब तक पहुंचा, जो 2023 से 8.4 प्रतिशत अधिक और कोविड-पूर्व स्तर (2019) से 2.7 प्रतिशत ज्यादा है। दिल्ली के अलावा, चीन का शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट 11 पायदान चढ़कर 10वें स्थान पर पहुंच गया। शीर्ष-10 में अन्य हवाईअड्डों में टोक्यो हनेडा (चौथे), लंदन हीथ्रो (पांचवें), डेनवर (छठे), इस्तांबुल (सातवें), शिकागो (आठवें) और शंघाई (10वें) शामिल हैं। विमान आवाजाही के मामले में दिल्ली एयरपोर्ट 15वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि 2023 में वह 17वें स्थान पर था। 2024 में यहां 4,77,509 विमानों की आवाजाही दर्ज की गई। इस मामले में अटलांटा एयरपोर्ट 7,96,224 विमानों के साथ शीर्ष पर रहा। एसीआई ने कहा कि 2024 में विमानों की आवाजाही वैश्विक स्तर पर 10.6 करोड़ से अधिक हो गई। यह 2019 के स्तर का 96.8% है। इसमें साल-दर-साल 3.9 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। एसीआई 170 देशों में 2,181 हवाई अड्डों का संचालन करने वाले 830 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। एसीआई वर्ल्ड के महानिदेशक जस्टिन एर्बासी ने कहा कि यह रैंकिंग वैश्विक विमानन के पैमाने और उद्योग की लचीलापन को दर्शाती है जो जटिल वैश्विक वातावरण के बावजूद लगातार बढ़ रही है।

बिहार में मतदाता सूची पर घमासान: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कार्यकर्ता, चुनाव आयोग के फैसले को बताया संविधान विरोधी

नई दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. दो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनका कहना है कि चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इससे गरीब, प्रवासी और हाशिए पर मौजूद समुदायों को मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सुधांशु धूलिया और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने बुधवार को इस मामले पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है. यह सुनवाई 10 जुलाई को होगी. सामाजिक कार्यकर्ता अरशद अजमल और रूपेश कुमार की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट में याचिका का जिक्र किया और इसे पहले से लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ने की मांग की. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग ने 24 जून को जो आदेश जारी किया है, वह गरीबों, प्रवासियों, महिलाओं और वंचित समुदायों को असंतुलित तरीके से प्रभावित कर सकता है. उनका कहना है कि इस रिवीजन में जन्म, निवास और नागरिकता जैसे दस्तावेजों की अनुचित और कठोर मांग की जा रही है, जो कई लोगों के पास नहीं होते. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि यह प्रक्रिया प्रतिनिधित्व की लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की गारंटी देने वाले संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती है. उनका तर्क है कि बिना स्पष्ट कानूनी आधार के इस तरह की प्रक्रिया लाखों मतदाताओं को वोटिंग के अधिकार से वंचित कर सकती है. इस मामले में सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि कई विपक्षी दलों के नेता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके है. कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार), शिवसेना (उद्धव गुट), समाजवादी पार्टी, जेएमएम, सीपीआई और सीपीआई (एमएल) के नेताओं ने मिलकर एक याचिका दायर की है.

विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2025 बनाम भारतीय डिजिटल जनगणना 2027- डिजिटल तकनीकी क्रांति

वैश्विक स्तरपर यह सर्वविदित है कि भारत दुनियाँ की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है,जो142.6 करोड़ से भी अधिक है व चीन से बहुत आगे निकल गया है, जिसमें युवाओं की संख्या सबसे अधिक है जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, जिनके बल पर आज हम तेजी से विकास कर रहे हैं। आज हम आज हम इस जनसंख्या विषय पर चर्चा करने की बात इस एंगल से कर रहे हैं क्योंकि 7 जुलाई 2025 शाम को सरकार ने जानकारी आई कि भारत में 2027 में होने वाली जनगणना डिजिटल माध्यम से होगी,यानें घर बैठे हम खुद जनगणना का फॉर्म मोबाइल या किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट पर भर सकते हैं, जिसके लिए सरकार एक पोर्टल लॉन्च करेगी। दूसरी बात शुक्रवार 11 जुलाई 2025 को विश्व जनसंख्या दिवस है, मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि भारत में 16 वर्षों के बाद जो डिजिटल जनगणना हो रही है उसमें काफी कुछ बदल जाने की संभावना है,यानें यहजनगणना अनोखी होगी, जिसमें जाति सहित अनेको सवालों की बौछार की जाएगी, जैसे फ्रिज टीवी वाहन प्रॉपर्टी घर मकान रोजगार इत्यादि अनेकों सवाल पूछे जाएंगे,आधार कार्ड की संलग्नता भी होगी, यानें जो लोग अभी संपन्न होते हुए भी, पर्दे के पीछे सरकारी योजनाओं का फायदा लाभ उठा रहे हैं, तथा टैक्स से बाहर है, उनकी आर्थिक संपन्नता पर्दे के पीछे ही है,सामने में वे हर क्षेत्र में आरक्षण सुविधा स्कीम,सरकारी योजनाओं का लाभ,जाली जाति कार्ड पर चुनाव लड़ रहे हैं, इत्यादि अनेकों लाभ अपात्र होते हुए भी उठा रहे हैं, इस जनगणना से वो पर्दे के पीछे इन्वॉल्व करने वाले भारी मात्रा में सामने आ जाएंगे व टैक्स के दायरे में आ जाएंगे,व इन सभी सुविधाओं के लाभ को बंद करने की नौबत आने की संभावना है,क्योंकि वित्तीय स्लैब के ऊपर दर्ज होंगे,इसलिए टैक्स के दायरे में आ जाएंगे, दूसरी ओर उनको सरकारी सुविधाएं व लाभ समाप्त होने की संभावना बनी रहेगी।चूंकि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2025 बनाम भारतीय डिजिटल जनगणना 2027, डिजिटल तकनीकी क्रांति का विषय है,इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, भारत में 1 मार्च 2027 से शुरू होने वाली जनगणना,कई मायनों में अनोखी होगी-वार्षिक आय, जाति,मकान सहित अनेक व्यक्तिगत जानकारियों से बहुत कुछ बदल जाने की संभावना है। साथियों बात अगर हम 7 जुलाई 2025 को सरकार द्वारा भारत के पहले डिजिटल जनगणना के ऐलान की करें तो,भारत में होने वाली अगली जनगणना को लेकर सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी,जिसमें आम लोग खुद भी अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए,सरकार एक खास वेब पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इसके अलावा, मोबाइल ऐप के जरिए भी जनगणना का काम पूरा किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि नागरिक चाहे तो खुद ही अपनी जनगणना की जानकारी वेब पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए दो चरणों में जनगणना होगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस यानी घर और मकान की जानकारी, और दूसरा चरण पॉपुलेशन एनुमरेशन यानी जनसंख्या की गिनती। दोनों चरणों में लोग खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।क्या होगी अगली जनगणना जनगणना 2026 और 2027 में दो चरणों में होगी। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जिसमें मकानों की गिनती की जाएगी। दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें लोगों की जनसंख्या, जाति और बाकी जरूरी जानकारियां जुटाई जाएंगी। इसके लिए 16 जून 2024 को सरकारी अधिसूचना जारी की गई है। यह आजादी के बाद भारत की 8वीं और कुल 16वीं जनगणना होगी। 34 लाख कर्मचारियों को दी जाएगी ट्रेनिंगइतने बड़े काम के लिए, सरकार ने देशभर में करीब 34 लाख लोगों को नियुक्त किया है। इन कर्मचारियों को तीन स्तरों पर ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले राष्ट्रीय ट्रेनर, फिर मास्टर ट्रेनर और आखिर में फील्ड ट्रेनर इन्हें तैयार करेंगे। हर गांव और शहर को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा जाएगा और हर हिस्से के लिए एक कर्मचारी जिम्मेदार होगा। इससे कोई भी घर या व्यक्ति गिनती से न छूटे।सीमाओं में बदलाव की आखिरी तारीख तय,सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि अगर वे अपने जिलों, तहसीलों या पुलिस थानों की सीमाओं में कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो उसे 31 दिसंबर 2025 से पहले कर लें। उसके बाद वही सीमाएं जनगणना में अंतिम रूप से मानी जाएंगी। सीमाएं तय करने के तीन महीने बाद ही जनगणना शुरू की जा सकती है। इससे जनसंख्या गिनती में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। साथियों बात अगर हम डिजिटल जनगणना को समझने की करें तो,भारत की 16 वीं जनगणना (2025-27) सबसे पहली बार डिजिटल होगी, जिसमें हम घर बैठे स्वयं अपना फॉर्म भर सकते हैं। डिजिटल-ई-जनगणना क्या है? यह भारत की पहली 100 पेपरलेस पूर्णतः डिजिटल सेंसस होगी, बिना कागज़ी फॉर्म के,हम घर से आधिकारिक पोर्टल या मोबाइल ऐप पर आधार - लिंक्ड मोबाइल से लॉगिन कर फॉर्म भर सकते हैं।एक बार हमारा डेटा जमा होने के बाद, एक एनुमरेटर (गणना कर्मचारी) घर पर आकर आपके द्वारा भरी जानकारी की सत्यता की पुष्टि करेगा क्या पूछे जाएंगे पारंपरिक जनगणना के सवाल (नाम, उम्र, लिंग, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार आदि) के साथ अब वस्तुओं की उपलब्धता (मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वाहन) और घरेलू सुविधाएं (स्वच्छता, ईंधन, पेयजल स्रोत) के बारे में भी पूछे जाएंगे।अनुमानित संख्या करीब 34-36 प्रश्न होंगे।प्रक्रिया और टाइमलाइन (1) स्वयं-गिनती-आप घर से ऑनलाइन फॉर्म भरें और ओटीपी के जरिए सत्यापित करें (2) एन्युमरेटर सत्यापन-बाद में सरकारी कर्मचारी हमारे पास आकर डेटा की जांच करेंगे और यदि कोई जानकारी अद्यतन करनी हो तो करेंगे। (3) दो टप्पे-फेज (1) (हाउस लिस्टिंग)-अक्टूबर 2026 से हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू- कश्मीर, लद्दाख सहित कुछ इलाके शुरू होंगे। फेज (2) (पॉपुलेशन ऐनुमीरेशन), मार्च 2027 से पूरे देश में।डिजिटल ई-जनगणना के फायदे(1) सटीकता व तेज डेटा संग्रह- मैनुअल त्रुटियाँ कम होंगी और परिणाम जल्दी मिलेंगे। (2) लागत और पेपर बचत-कागज, लॉजिस्टिक आदि पर खर्च कम होगा (3) डेटा सुरक्षा-एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं गोपनीयता में बढ़ोतरी।(4)स्मार्ट गवर्नेंस-नीति निर्धारण,कार्य योजना,निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण आदि में वास्तविक समय-आधारित डेटा का लाभ। हमारा पहचान प्रमाण (आधार या मोबाइल ओटीपी) के साथ जब पोर्टल लाइव होगा, तब फॉर्म भर सकते हैं।यदि इंटरनेट की सुविधा न हो, तो चिंता न करें-एनुमरेटर हमारे घर आएगा।यह पहला मौका है जब आप घर से ही ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और फिर एनुमरेटर सत्यापन करेगा।डिजिटल प्रक्रिया के कारण भविष्य की योजनाओं में आपकी जानकारी समय रहते सरकारी योजनाओं और संसाधनों को बेहतर तरीके से लक्षित करने में मदद करेगी। साथियों बात अगर हम शुक्रवार 11 जुलाई 2025 को विश्व जनसंख्या दिवस व 7 जुलाई 2025 को किए गए भारत के पहले डिजिटल जनगणना के ऐलान की तुलना करें तो, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2025 और पहली बार डिजिटल जनगणना का आपसी संबंध है।

(1) विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य-हर साल 11 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व जनसंख्या दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1989 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, गरीबी, और सतत विकास पर वैश्विक जागरूकता फैलाना है।भारत 2025 में पहली बार डिजिटल जनगणना की तैयारी कर रहा है, जिसमें लोग ऑनलाइन माध्यम से स्वयं अपने परिवार की जानकारी भर सकेंगे। यह डिजिटल साक्षरता,डेटा की सटीकता और रियल टाइम प्रोसेसिंग की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।दोनों के बीच संबंध-जनसंख्या डेटा की सटीकता और अद्यतन जानकारी डिजिटल जनगणना से वास्तविक समय में अद्यतन, सटीक और विश्लेषणात्मक जनसंख्या आँकड़े मिल सकेंगे। ये आँकड़े विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या नीति बनाने और सटीक योजना तैयार करने में मदद करेंगे। (2) नीतिगत योजना और संसाधनों का समुचित वितरण,जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या विस्फोट, संसाधन वितरण और शहरीकरण जैसे विषयों पर चर्चा होती है। डिजिटल जनगणना से प्राप्त आँकड़ों की मदद से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार जैसे क्षेत्रों में डेटा आधारित योजना बनाना आसान होगा (3) जनसंख्या वृद्धि की डिजिटल निगरानी, डिजिटल जनगणना के जरिए यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा कि किन राज्यों या क्षेत्रों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है।

द्रौपदी मुर्मू में भारत खुद को देखता है

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु कई पूर्ववर्तियों से अलग है। तीन वर्ष से भी कम के राष्ट्रपतिकाल में उनके 203 दिन यात्रा करते हुए बीते हैं, इस दौरान उन्होंने 110 दौरे किये, जिनमें से 11 दौरे उनके गृहराज्य ओडिशा के थे तो विभिन्न अवसरों पर 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के थे, जो बतौर राष्ट्रपति एक रिकॉर्ड है, द्रौपदी मुर्मु में भारत खुद को देखता है। विगत 30 जून को प्राचीन शहर गोरखपुर सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मेजबानी के लिए तैयार नहीं हो रहा था, वह और भी बहुत कुछ का गवाह बना। मानसून के बादल भरे आकाश के नीचे महामहिम ने गोरखपुर मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए प्रवेश किया। उनका दौरा राष्ट्रपति का रूटीन दौरा नहीं था, वह जनता के भरोसे, बेहतर प्रशासन और देश के नैतिक भूगोल के बीच हो रही खामोश क्रांति की पुष्टि से जुड़ा अनुष्ठान था तुरंत स्वतंत्र हुए भारत के मंदिरों में खाली पैर प्रवेश करने वाले डॉ. राजेंद्र प्रसाद या अनाम शहरों के युवा मानस को प्रेरित करने वाले एपीजे अब्दुल कलाम की तरह ही द्रौपदी मुर्मु का राष्ट्रपतिकाल संवैधानिक कद और लोकप्रिय प्रतीकवाद का दुर्लभ मिश्रण है। राष्ट्रपति के आधिकारिक दौरे सिर्फ कैलेंडर की शोभा नहीं बढ़ाते, वे देश के भावनात्मक और राजनीतिक भूगोल का फिर से नक्शा खींचते हैं, और इस प्रक्रिया में हाशिये पर रहने वाले लोगों को देश के हृदय प्रदेश में ले आते हैं। द्रौपदी मुर्मु कई पूर्ववर्तियों से अलग हैं, तीन वर्ष से भी कम के राष्ट्रपतिकाल में उनके 203 दिन यात्रा करते हुए बीते हैं। इस दौरान उन्होंने 110 दौरे किये, जिनमें से 11 दौरे उनके गृहराज्य ओडिशा के थे, तो विभिन्न अवसरों पर 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के थे जो बतौर राष्ट्रपति एक रिकॉर्ड है। ये आनुष्ठानिक दौरे तो कतई नहीं थे। इन यात्राओं में राज्य की राजधानियों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का जितना महत्व था, उतना ही महत्व भूले-बिसरे शहरों, दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों और छोटे विश्वविद्यालयों को मिला। इनके राष्ट्रपतिकाल का महत्व रेखांकित करने के लिए इन्हें उनके पूर्ववर्तियों के आईने में देखा जाना चाहिए। हमारे यहां सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉ. जाकिर हुसैन जैसे राष्ट्रपति हुए हैं, जिनकी मेधा चकित करती थी। राधाकृष्णन ने ऑक्सफोर्ड में गीता पर अद्भुत व्याख्यान दिया था, तो डॉ. जाकिर हुसैन हिंदुस्तानी संस्कृति और प्राथमिक शिक्षा के अधिकारी विद्वान थे। यहां केआर नारायणन जैसे संवैधानिक शुद्धतावादी भी हुए, जिन्होंने अस्थिरता को बढ़ावा देने वाली सरकार की नीति को अनुमोदित करने से इन्कार कर दिया। ऐसे ही एपीजे अब्दुल कलाम की यात्राएं महत्वपूर्ण चाहे कितनी भी क्यों न रही हों, वे द्रौपदी मुर्मु की यात्राओं के विशाल दायरे या उनकी गहन प्रतीकात्मकता को अतिक्रमित नहीं कर पायीं। कलाम जहां महत्वाकांक्षा जगाते थे, मुर्मु खोयी गरिमा को बहाल करती हैं। कलाम की यात्रा जहां भविष्योन्मुखी थी, मुर्मु खुद को विस्मृत अतीत को जमीन से जोड़ती हैं। उनमें आदिवासी इतिहास, अकालों का इतिहास और सीमांत का इतिहास है, जिन्हें राष्ट्रीय विमर्श ने बिसरा दिया है। कर्नाटक से पूर्वोत्तर, तमिलनाडु से तेलंगाना तक और केरल से आंध्र प्रदेश तक-उनकी यात्राएं सिर्फ प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं हैं, इन जगहों में उनकी उपस्थिति एक श्रद्धालु की उपस्थिति है। अपने गृह राज्य ओडिशा में उन्होंने आदिवासी इलाकों में रेल पटरियों की नींव रखी और मूर्तियों, मंदिरों तथा छात्रावासों का उद्घाटन किया। उन्होंने चेन्नई में लड़कियों की एक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया जो मयूरभंज के संताल गांव से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने की उनकी उपलब्धि की तरह ही प्रेरित करने वाला था। उनकी हर यात्रा कैनवास पर खींची गयी रेखाओं की तरह है, एक साथ मिलने पर उनसे एक ऐसे गणतंत्र का चित्र बनता है जो देख, सुन और जोड़ सकता है। बेशक यहां एक ठोस राजनीतिक संदेश भी है। उनका राष्ट्रपति पद सांस्कृतिक दृढ़ कथन, जमीनी स्तर पर एकीकरण और क्षेत्रीय मजबूती के भाजपा के नजरिये से कहीं खुलेआम, तो कहीं अस्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। इस तरह से वह एक प्रतीक भी है और शक्ति भी। उनका अभियान बताता है कि गणतंत्र की आत्मा लोगों को बाहर करके नहीं, समावेशन से आकार लेती है। उन्होंने राष्ट्रपति की दृष्टि को दिल्ली के लुटियंस जोन से आगे ले जाकर असम के चाय बागानों, ओडिशा के आदिवासी गांवों और बेलों के यूनिवर्सिटी हॉल तक विस्तार दिया है, उनकी यात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समावेशी हिंदुत्व के विमर्श निर्माण के प्रयासों के अनुरूप है, जहां आदिवासी विरासत, महिला सशक्तिकरण और ढांचागत प्रगति, सभी को भगवा कैनवास में जगह मिलती है लेकिन मुर्मु को भाजपा का शुभंकर समझ लेना गलत होगा। उन्होंने गणतंत्र के आध्यात्मिक प्रयोजन को उसकी समुचित जगह दी है। वेदमंत्रों का उच्चारण और स्नातक के प्रमाणपत्रों का पाठ वह एक समान सहजता से करती हैं। जितनी सहजता से वह मैसूरू के दशहरा में हाथी की पीठ पर आसीन होती हैं, उसी सहजता से कोलकाता में रवींद्र संगीत का आनंद लेती हैं, कुछ दूसरे राष्ट्रपतियों ने जहां दूरी बनाने को कला की तरह विकसित किया, वहीं द्रौपदी मुर्मु ने परिचय और नजदीकी पर भरोसा किया। उनके सफरनामे में कई बुनियादी प्रश्नों के उत्तर हैं। जैसे भारतीय कौन है? भाषणों से नहीं, अपनी गतिविधियों से वह इसका उत्तर देती हैं, यहां का हरेक व्यक्ति भारतीय है। तब यह बहुत महत्वपूर्ण है, जब राज्य का रवैया वात्सल्यपूर्ण से ज्यादा दंडात्मक लगता है। जब संस्थान केंद्रीकृत होते जा रहे हैं और असहमति का दायरा सिकुड़ रहा है, तब समावेशन के जरिये वह मिसाल पेश कर रही हैं, अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायणन के विपरीत द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति पद के भावनात्मक दायरे को विस्तार दिया है। वह टकराती नहीं, बल्कि संस्कारित करती हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पद को गतिमान, आडंबरहीन और अर्थपूर्ण बनाया है। वह सिर्फ जिलों का दौरा नहीं करतीं, महत्वाकांक्षाओं को प्रेरित करती हैं। वह सिर्फ उद्घाटन के फीते नहीं काटतीं, भविष्य बोती हैं। राष्ट्रपति मुर्मु के कार्यकाल के बेशक करीब तीन साल बचे हैं, लेकिन उनकी विरासत अमिट हो चुकी है। शीशे की आदमकद प्रतिमा या पोर्ट्रेट में नहीं, बल्कि दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों की रेल पटरियों में, पहली पीढ़ी के स्नातकों को सौंपे गये कॉन्वोकेशन मेडल्स में और उन बच्चों की मुस्कराहटों में, जिन्होंने पहली बार देश के शीर्ष

ट्रम्प की ब्रिक्स को धमकी

ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का घोषणा पत्र जारी होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों से जुड़ने वाले देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी है। यह धमकी ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका सरकार टैरिफ लगाने की समय सीमा से पहले कई देशों के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रही है, जिसमें भारत भी शामिल है। ट्रम्प की धमकी के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डीसिल्वा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और दो-टूक शब्दों में कहा है कि ''दुनिया बदल गई है हमें कोई सम्राट नहीं चाहिए।'' ब्रिक्स आर्थिक दृष्टिकोण से दुनिया को संगठित करने का दूसरा तरीका खोज रहा है। यही कारण है कि ब्रिक्स ट्रम्प को असहज कर रहा है। ब्रिक्स वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर का विकल्प ढूंढ रहा है। चीन ने भी ट्रम्प की धमकी पर संतुलित प्रतिक्रिया व्यक्त की है लेकिन अन्य देशों ने ट्रम्प का विरोध किया है। फरवरी में ट्रम्प ने चेतावनी दी थी कि अगर ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर की भूमिका को कम करने की कोशिश करेगा तो उन्हें 100 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रम्प की धमकी का असर भारत पर भी पड़ेगा। अब सवाल यह है कि ट्रम्प ब्रिक्स को निशाना क्यों बना रहे हैं। इस साल अमेरिकी करेंसी डॉलर की कीमत में तगड़ी गिरावट आई। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण ट्रम्प को लगता है कि हर कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। रियो घोषणापत्र में 'वैश्विक शासन में सुधार करने' को लेकर 'अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता' पर बात की गई है। इसके साथ ही इसमें एकतरफा टैरिफ और नॉन-टैरिफ जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि घोषणापत्र में इसी मुद्दे को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगाने की धमकी दी है। हालांकि घोषणा पत्र में अमेरिका का नाम नहीं लिया गया है। रियो घोषणा पत्र में कहा गया है कि ब्रिक्स यह एकतरफा टैरिफ और नॉन-टैरिफ उपायों के बढ़ते इस्तेमाल पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं, ये उपाय व्यापार के तरीके को बिगाड़ रहे हैं और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा घोषणा पत्र में ये भी कहा गया है कि एकतरफा बलपूर्वक उपाय लागू करना अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और एकतरफा आर्थिक प्रतिबंध जैसी कार्रवाइयों का हानिकारक असर पड़ता है। बयान में डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार व्यापार की वकालत की गई है, साथ ही बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की बात की गई है। ब्रिक्स समूह ऐसी बैंकिंग व्यवस्था की बात करता है जो डॉलर के समानांतर हो। यह भी एक कारण है कि ट्रम्प सख्त रुख अपनाए हुए हैं। ट्रम्प की धमकी भारत के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है और भारत ने भी ब्रिक्स घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें अमेरिकी टैरिफ की आलोचना की गई है। हालांकि ट्रम्प ने 14 देशों पर नए सिरे से टैरिफ का ऐलान करते हुए भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कहा है कि वे भारत के साथ सौदे के करीब हैं। ट्रम्प ने नया टैरिफ लगाने की समय सीमा एक अगस्त तक बढ़ा दी है लेकिन अब भारत के पास 1 अगस्त तक का समय है। भारत चाहता है कि ये टैरिफ नहीं लगे लेकिन इसके लिए अमेरिका चाहता है कि भारत उसके कृषि और डेयरी उत्पादों को अपने बाजार में ज्यादा जगह दे।

सम्पादकीय...

सहकारिता में बदलाव

भारत में सहकारिता आंदोलन का इतिहास सौ साल से भी ज्यादा पुराना है। ये आंदोलन खासकर ग्रामीण इलाकों में किसानों, छोटे उद्यमियों और आम लोगों को आर्थिक ताकत देने का एक बड़ा जरिया रहा है। सहकारिता का मतलब है कि लोग मिलजुल कर, अपनी छोटी-छोटी पूंजी और मेहनत से बड़े काम करें। चाहे वो दूध की डेयरी हो, चीनी मिलें हों, या फिर सहकारी बैंक, ये सभी समाज के निचले तबके को सशक्त बनाने में मदद करते हैं लेकिन 2014 से पहले सहकारिता क्षेत्र में कई समस्याएं थीं, जैसे कि पुराने कानून, सरकारी दखल, भ्रष्टाचार और प्रबंधन की कमी। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद इस क्षेत्र में कई बड़े बदलाव आए, जिनमें मोदी जी और उनके करीबी सहयोगी अमित शाह की अहम भूमिका रही। आइए, इन बदलावों और इन दोनों नेताओं की भूमिका को विस्तार से समझते हैं। सहकारिता क्षेत्र में 2014 के बाद आए बदलावों में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना मुख्य है। 2014 के बाद सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव था 2021 में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन। इससे पहले, सहकारिता का जिम्मा कृषि मंत्रालय के पास था, जिसके कारण इस क्षेत्र को वो ध्यान नहीं मिल पाता था जिसकी जरूरत थी। नरेंद्र मोदी ने इस मंत्रालय को बनाकर सहकारिता को एक नई दिशा दी। इस मंत्रालय का मकसद था सहकारी संस्थाओं को मजबूत करना, उनके कामकाज को पारदर्शी बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। यदि हम राष्ट्रीय सहकारी नीति और डेटाबेस की बात करें तो 2025 में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि जल्द ही एक राष्ट्रीय सहकारी नीति आएगी जिसके तहत राज्य अपनी जरूरतों के हिसाब से नीतियों में बदलाव कर सकेंगे। इसके अलावा एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाने की पहल शुरू की गई। इस डेटाबेस का मकसद है ये पता लगाना कि देश के किन गांवों में सहकारी संस्थाएं नहीं हैं ताकि वहां नई समितियां बनाई जा सकें। अमित शाह ने कहा कि अगले पांच साल में हर गांव में कम से कम एक सहकारी समिति होगी। ये डेटाबेस राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तहसील स्तर पर सहकारी संस्थाओं की जानकारी इकट्ठा करेगा जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और कमियां दूर होंगी। इस संदर्भ में पीएसीएस प्राथमिक सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण एक मुख्य घटना रहा। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। 2014 के बाद मोदी सरकार ने इन समितियों को आधुनिक बनाने पर जोर दिया। अमित शाह ने बताया कि पहले में अनियमितताएं थीं लेकिन सरकार ने आदर्श बाय लॉज बनाकर इनमें सुधार किया। अब इसे बहुउद्देशीय बनाया जा रहा है, यानी ये सिर्फ कृषि ऋण ही नहीं, बल्कि अन्य सेवाएं जैसे कि बीज, उर्वरक, और बाजार तक पहुंच प्रदान करेंगी। इसके लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इन समितियों का प्रबंधन पारदर्शी और कुशल हो। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह थी कि सहकारी बैंकों और डेयरी क्षेत्र में बड़ा सुधार देखने को मिला। सहकारी बैंक और डेयरी क्षेत्र में भी बड़े बदलाव आए। 2014 के बाद सरकार ने सहकारी बैंकों को और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। अंत में सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनाना मोदी सरकार का मंत्र रहा है, सहकार से समृद्धि। सरकार का मानना है कि सहकारिता के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी जा सकती है। अमित शाह ने कहा कि भारत जैसे देश में जहां 140 करोड़ लोग हैं, रोजगार सृजन और जीडीपी वृद्धि के लिए सहकारिता एकमात्र रास्ता है। इसके लिए सरकार ने सहकारी समितियों को न सिर्फ कृषि, बल्कि अन्य क्षेत्रों जैसे मत्स्य पालन, पशुपालन और हस्तशिल्प में भी बढ़ावा दिया है। कानूनी और प्रशासनिक सुधार भी कुछ कम न थे। पहले सहकारिता क्षेत्र में पुराने कानूनों के कारण कई भी दिक्कतें थीं। मोदी सरकार ने इन कानूनों को समय के हिसाब से अपडेट किया। उदाहरण के तौर पर सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन और अंकेक्षण में सरकारी हस्तक्षेप को कम किया गया ताकि ये संस्थाएं स्वायत्त हो सकें। साथ ही सहकारी संगठनों को निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए पेशेवर प्रबंधन और तकनीकी सहायता दी जा रही है। नरेंद्र मोदी का योगदान अति महत्वपूर्ण रहा है। नरेंद मोदी ने सहकारिता क्षेत्र को एक नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। उनकी दूरदर्शिता और सहकार से समृद्धि के मंत्र ने इस क्षेत्र को नया जीवन दिया। जिसके कारण सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ। मोदी जी ने 2021 में सहकारिता मंत्रालय बनाकर इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी। मोदी सरकार ने सहकारी समितियों में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस इसका एक उदाहरण है। इसके जरिए सहकारी संस्थाओं का डेटा एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ रही है और सहकारी ब्रांड्स को बढ़ावा मिला है। मोदी जी ने सहकारी ब्रांड्स जैसे अमूल को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहन दिया। उनकी नीतियों ने सहकारी डेयरी और उर्वरक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जहां तक अमित शाह की भूमिका की बात है तो वह भी कम नहीं है अमित शाह को 2021 में सहकारिता मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया और तब से उन्होंने इस क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए। जिसके कारण यह गतिशील मंच बना। उधर अमित शाह का सहकारिता क्षेत्र में पहले से अनुभव रहा है। 1990 के दशक में उन्होंने अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट सहकारी बैंक को दिवालियापन से निकालकर मुनाफे में लाया था। इस अनुभव का फायदा अब वे राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं। सहकारी बैंकों और डेयरी क्षेत्र में योगदान बहुत मायने रखता है। सहकारिता मंत्रालय का गठन, राष्ट्रीय सहकारी नीति, पीएसीएस का आधुनिकीकरण, और डेयरी व बैंकिंग क्षेत्र में सुधार इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। नरेंद मोदी ने अपनी दूरदर्शिता और सहकार से समृद्धि के मंत्र के जरिए इस क्षेत्र को नई दिशा दी, जबकि अमित शाह ने अपने अनुभव और नेतृत्व से इन नीतियों को जमीन पर उतारा। इन दोनों की जोड़ी ने सहकारिता को ग्रामीण भारत की आर्थिक रीढ़ बनाने की दिशा में अहम कदम उठाए। अगले कुछ सालों में अगर ये प्रयास इसी तरह जारी रहे तो सहकारिता क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा।

बिहार 'वोटबंदी': चुनाव आयोग के फ़रमान के ख़िलाफ़ छिड़ा सियासी संग्राम

अनिल अंशुमन

तटस्थ रहने के मीडिया-आदर्श के तमाम तकाज़ों के लिहाज़ से भी यदि आप बिहार के मौजूदा राजनीतिक स्थितियों का ईमानदार जायज़ा लेंगे तो पायेंगे कि- कैसे देश के चुनाव आयोग के हालिया फरमान से बिहार राज्य के प्रत्येक वोटर की वर्तमान सूची को सार्वजनिक रूप से निरस्त किया जा चुका है। क्योंकि चुनाव आयोग ने सरकारी घोषणा जारी कर राज्य में नया वोटर लिस्ट बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने की घोषणा कर दी है। जिसके लिए समय अवधि भी 25 जुलाई निर्धारित कर पूरे प्रदेश में नीचे से लेकर ऊपर तक कर्मचारियों व आला-अधिकारियों की टीमें दौड़ायी जा रही हैं। साथ ही मीडिया से हर दिन सूचना-विज्ञापनों द्वारा व्यापक प्रचार करने के साथ साथ तमाम स्तर के निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रेस-वार्ता करवाकर चुनाव आयोग के नए फरमान के अनुपालन सम्बन्धी प्रशासनिक आदेश जारी करने का सिलसिला जारी है। इस सबसे ऐसी अफरा-तफरी मच गयी है कि हर मतदाता आतंकित सा हो रहा है कि- क्या वह सरकार के अनुसार राज्य का वैध वोटर रह पायेगा? क्योंकि अब तक की तो स्थापित परम्परा यही रही है कि- निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकारी-कर्मचारी घर-घर पहुंचकर मतदाताओं की मदद करते थे। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि वोटरों को ही चुनाव आयोग के समक्ष अपने नागरिक होने का प्रमाण देने का फरमान मानने को बाध्य किया जा रहा है। सूचनाएं यह भी मिल रही हैं कि जगह-जगह निर्वाचन अधिकारीगण धमकी भरे लहजे में लोगों को बुला बुलाकर यही समझा रहे हैं कि- नागरिक होने की पहचान नहीं देंगे तो वोट कैसे दे सकोगे? हास्यास्पद स्थिति ये है कि जिस आधार कार्ड को केंद्र की सरकार, देश के सभी नागरिकों के लिए सबसे अनिवार्य सरकारी कागज़ मानने का अनुपालन करवा रही है, चुनाव आयोग ने उसे अमान्य घोषित कर दिया है। विगत कई वर्षों से निर्गत वोटरों का अपना वोटर आईडी भी मान्य नहीं है। कहा जा रहा है है कि यदि 2003 के बाद जन्म लिए हो तो माता-पिता का भी जन्म-प्रमाणपत्र जमा करो अथवा ज़मीन का स्थायी मालिकाना कागज़ दिखाओ।

इस संबंध में कुल 11 प्रावधान दिए गए हैं जिसे 25 जुलाई तक चुनावकर्मियों/ऑनलाइन जमा कर देना है। जिसकी सघन जांच-पुनरीक्षण के बाद ही तय होगा कि वोट देने का अधिकार है अथवा नहीं। पूरे राज्य में हर तरफ से यही सवाल उठ रहा है कि- पीढ़ी दर पीढ़ी के निवासियों से लेकर वर्षों से भूमिहीन रहने को अभिशप्त लाखों लाख गरीब-गुरबे कहाँ से मकान/ज़मीन के स्थायी कागज़ात, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और माँ-बाप के सरकारी कागज़ात, वो भी इतने कम समय में कहाँ से ला सकेंगे। अगर नहीं लायेंगे तो सरकार-प्रशासन की नज़रों में वे अब से राज्य के नागरिक नहीं रह पायेंगे और उन्हें वोट देने के मौलिक अधिकार से भी वंचित कर दिए जायेंगे। प्रदेश की डबल इंजन सरकार के घटक दलों में इसे लेकर अभी तक तो पूरा समर्थन दिख रहा है, लेकिन राज्य के परेशान-हाल लोगों के सवालों पर सघन चुप्पी है। जबकि परेशान-हाल लोगों व राज्य के वोटरों की ओर से राज्य के वामपंथी दल और इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों ने चुनाव आयोग के फरमान को असंवैधानिक और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर खुला हमला करार देते हुए ज़ोरदार विरोध अभियान छेड़ रखा है। भाकपा माले ने तो विवादास्पद नोटबंदी की भांति इसे केंद्र सरकार द्वारा बिहार की जनता पर सरासर वोटबंदी थोपने का आरोप लगाते हुए इसे तत्काल वापस कराने और अपने मताधिकार की रक्षा के लिए राज्य की जनता से ज़ोरदार जनदबाव खड़ा करने का आह्वान किया है।

वहीं, प्रदेश के इंडिया गठबंधन ने एक स्वर से आरोप लगाया है कि पिछले 20 वर्षों के कुशासन से त्रस्त बिहार की जनता जब बिहार के शासन में बदलाव चाह रही है और डबल इंजन की सरकार को हटाना चाहती है, तो आसन्न हार से घबरायी भाजपा-जदयू सरकार अब लोगों के मताधिकार को ही खत्म कर देने पर आमादा है। इंडिया गठबंधन दल यह भी कह रहे हैं कि- पिछले विधान सभा चुनाव में जंगल राज का डर दिखाकर प्रदेश की कुर्सी पर काबिज़ होने वाले भाजपा-जदयू की एनडीए गठबंधन सरकार के शासन में हर जगह अपराध का खुला तांडव हो रहा है। आये दिन बच्चियों-महिलाओं पर बर्बर अत्याचार-हत्या की घटनाएं बेलगाम हैं। राज्य के गरीब-गुरबे-दलित-वंचितों पर सामंती-दबंगता के हमले बेतहाशा बढ़े हैं। बीपीएससी से लेकर हर नौकरी-परीक्षा में पेपर-लीक का संगठित कुचक्र से राज्य के छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। सरकार की जुमलेबाजी से क्षुब्ध युवाओं द्वारा रोज़ी-रोज़गार की मांग करने पर पुलिस की लाठियां बरस रही हैं। ऐसे में केंद्र की सत्ता पर काबिज़ भाजपा सरकार 'वोट देने' के ऐन मौके पर राज्य के लोगों से नागरिकता पहचान मांग कर उनके वोट देने के मौलिक अधिकार को ही खत्म करने की साजिश कर अपना तानाशाह चरित्र दिखला रही है। यह खुला सच है कि- पूरे राज्य में फैली भयावह अफरा-तफरी और परेशान-हाल जनता के बढ़ते विक्षोभ को देखते हुए चुनाव आयोग को हर दिन नयी नयी घोषणाएं कर लोगों को तथाकथित रूप से आश्वस्त करना पड़ रहा है कि- वोटर लिस्ट से किसी का नाम नहीं कटेगा। जैसे भी हो आप मतदाता पुनरीक्षण फॉर्म भर कर कर्मचारी को दे दीजिये। लेकिन दूसरी ओर, यह भी हिदायत देना जारी रखे हुए है कि आयोग ने मतदाता-पहचान साबित करने के जो ग्यारह बिंदु दिए हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। चुनाव आयोग का एक बेतुका फरमान यह भी है कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, वे जहाँ अभी मेहनत-मजूरी कर रहे हैं वहीं पर वोट डालें, अपने प्रदेश बिहार आकर वोट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। गौर तलब है कि देश के चुनाव आयोग द्वारा बिहार की जनता पर एसआईआर थोपे जाने को असंवैधानिक करार देकर इसके खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। जिसे कोर्ट द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। वहीं हर दिन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सड़कों पर वोटबंदी नहीं चलेगी, 'मताधिकार बचाओ, लोकतंत्र बचाओ' के आह्वान के साथ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया गठबंधन ने राज्यव्यापी विरोध आन्दोलन खड़ा करने और भाजपा-जदयू सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग के लोकतंत्र विरोधी रवैये के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का व्यापक आह्वान कर रखा है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साव पैरालवना एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2001/08862)

राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय में एक पेड़ माँ के अभियान के तहत किया गया पौधारोपण

पानीपत। राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय जीटी रोड में बुधवार को एक पेड़ माँ के नाम पौधारोपण अभियान शुरु किया गया। जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देना है। एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम में प्रिंसीपल प्रतिमा शर्मा, डीईईओ सुभाष भारद्वाज, वाइस प्रिंसिपल राममेहर ने विद्यालय प्रांगण में पौधा रोपण किया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले और अपने आस पास के क्षेत्र में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। इस अवसर पर प्रिंसीपल प्रतिभा शर्मा ने बच्चों से आह्वान किया कि जिले को हरा-भरा करने एव जीवन को बचाने के लिए पौधारोपण का संकल्प लेने की जरूरत है। इस अवसर पर प्रिंसीपल प्रतिमा शर्मा, डीईईओ सुभाष भारद्वाज, वाईस प्रिंसीपल राममेहर, प्रवीण कुमार, निशा मलिक मौजूद रहे।

आईआरसीटीसी द्वारा दक्षिण दर्शन यात्रा के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाई जाएगी

पानीपत। आगामी 28 जुलाई से इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिजम कार्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) द्वारा दक्षिण दर्शन यात्रा के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाई जाएगी। उपायुक्त डॉ. विरेन्द्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के उपक्रम कैटरिंग एण्ड टूरिजम कार्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) द्वारा दक्षिण दर्शन यात्रा के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन आगामी 28 जुलाई से पठानकोट से चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक रूप से समृद्ध यह यात्रा 12 रात और 13 दिनों के लिए होगी। इसमें तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरै आदि सहित दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों को कवर किया जाएगा। यह एक सर्व समावेशी पैकेज है। जिसमें कन्फर्म ट्रेन बर्थ, आरामदायक होटलों में ठहरने, सड़क परिवहन, सुरक्षा के लिए ऑन-बोर्ड एस्कॉर्ट्स आदि शामिल है। ट्रेन का पानीपत में एक स्टॉपेज भी है। उपायुक्त डॉ. विरेन्द्र कुमार दहिया ने बताया कि यह ट्रेन पठानकोट, जालंधर सिटी, लुधियाना, चण्डीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल व पानीपत जक्शन सहित सोनीपत, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, आगरा, ग्वालियर इत्यादि स्टेशनों से होती हुई अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी। इस दक्षिण दर्शन यात्रा में जाने के इच्छुक श्रद्धालु डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू आईआरसीटीसी टूरिजम डॉट कॉम और आईआरसीटी चण्डीगढ़ के 0172-4645795 और मोबाईल नम्बर 8595930980 (अमनदीप) से सम्पर्क कर सकते हैं। डॉ. विरेन्द्र कुमार दहिया ने बताया कि यह ट्रेन 28 जुलाई को प्रातः 10.30 बजे पठानकोट से रवाना होगी और वापस जालंधर सिटी, लुधियाना, चण्डीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल के रास्ते 29 जनवरी को सांय 7 बजकर 40 मिनट पर पानीपत पहुंचेगी और सांय 7 बजकर 45 मिनट पर यहां से रवाना होगी। यह ट्रेन 9 अगस्त को वापसी करेगी।

अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग की धर्मशालाओं में 75 प्रतिशत अनुदान पर लगेंगे सोलर पैनल: पंकज यादव

पानीपत। अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) डाक्टर पंकज यादव ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग व हरेडा के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण एवं सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी भवनों में ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जिला की पंजीकृत अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं में 75 प्रतिशत अनुदान पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। इसकी 25 प्रतिशत राशी सम्बंधित संस्था द्वारा वहन की जाएगी। इन धर्मशालाओं में बिना बैटरी बैंक के 5 किलोवाट तक के सोलर पावर प्लांट लगाये जायेंगे। एडीसी ने यह भी बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सरकारी एवं गैर सरकारी गुरुकुल, कामकाजी महिला छात्रावास, अनाथालय, वृद्धाश्रम, बालगृह, नारी निकेतन, प्राकृतिक चिकित्सालय, रेडक्रॉस संस्थान तथा धर्मार्थ संस्थानों पर 50 प्रतिशत अनुदान पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पॉवर प्लांट लगाये जायेंगे 7 जिसकी 50 प्रतिशत की राशि सम्बंधित संस्था द्वारा दी जाएगी 7 इन संस्थानों में बिना बैटरी बैंक के 50 किलोवाट तक के सोलर पावर प्लांट लगाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि इच्छुक सामाजिक संस्थाएं नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होनी अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए जिला सचिवालय के दुसरे तल पर स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

दिशा बैठक में दिशा की बदली गाईडलाइन पर हुई चर्चा

पानीपत। जिला सचिवालय सभागार में बुधवार को जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर किरण ने विभिन्न विभागों विभाग अध्यक्ष के साथ गाईडलाईन के परिवर्तन को लेकर बैठक हुई। दिशा बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सभी विभागों के अध्यक्षों को निर्देश दिए की वे अपने अपने विभागों में संचालित की जा रही योजनाओं की फिजिकल और फाइनेंशियल रिपोर्ट संक्षिप्त में तैयार करें। जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने विभिन्न विभागों के अध्यक्षों से उनके टारगेट के बारे में पूछ व कितना प्रतिशत टारगेट प्राप्त किया इसकी जानकारी भी ली। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्मार्ट सिटी मिशन अर्बन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री क्षेत्र खनन योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अलावा और कई विभागों से जुड़े योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने विभाग अनुसार संचालित की जा रही योजनाओं की प्रगति भी जानी। इस मौके पर मुख्य सिविल सर्जन विजयपाल मलिक, डीडीपीओ राकेश शर्मा, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी शक्ति सिंह नितिन यादव, डीपीओ रण सिंह वर्मा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज, आरटीओ नीरज जिंदल, एलडीएम राजकुमार, पशु चिकित्सा अशोक लोहान, बिजली विभाग के एसडीओ नरेंद्र जागलान, खंड शिक्षा अधिकारी मनीष गुप्ता, नीलम कुंडू के अलावा कई अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन को साकार करने में उद्योगों का रहेगा विशेष योगदानः राव नरबीर सिंह

चंडीगढ़।

हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में उद्योगों का भी विशेष योगदान रहेगा। हरियाणा इसी लक्ष्य के साथ उद्योगों की योजनाओं को रूप रेखा तैयार कर रही है। प्रदेश सरकार स्टार्टअप से लेकर एमएसएमई व नई आईएमटी विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि किसी भी देश का विकास उद्योगों के बिना संभव नहीं है।

उद्योगों की तरक्की होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा और देश मजबूत होगा। मंत्री आज यहां सिविल सचिवालय में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे दूसरे प्रदेशों में उद्यमियों को दी जा रही सब्सिडी की जानकारी लें और यदि

हरियाणा इसी लक्ष्य के साथ उद्योगों की योजनाओं की रूप रेखा कर रहा है तैयार
स्टार्टअप से लेकर एमएसएमई व नई आईएमटी विकसित करने की है सरकार की योजना

दूसरे राज्यों में हरियाणा से ज्यादा सब्सिडी है तो उसे हम अपने प्रदेश में भी लागू करें, ताकि हरियाणा में भी और ज्यादा उद्योग स्थापित हो सकें और प्रदेशवासियों को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि आईओएमटी व अन्य एचएसएसआईआईडीसी की औद्योगिक संपदाओं में ग्रीन बेल्ट को बढ़ावा दिया जाए और 15 जुलाई से आरंभ मास पौधारोपण अभियान के दौरान अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मानसून के दो महीनों के बाद औद्योगिक क्षेत्रों में 15 सितंबर से सड़कों की मरम्मत के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि विभाग के जिलास्तर पर कार्यालयों में कार्यशैली को और बेहतर बनाया जाए, ताकि उद्यमियों का विभाग के प्रति विश्वास और मजबूत हो। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि उद्यमियों को बेहतर सुविधा मुहैया करवाई जाए। इसको लेकर तत्परता से काम भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा उद्योगों के विकास के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार व प्रसार किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित हो सकें। बैठक में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त व सचिव श्री अमित अग्रवाल, निदेशक डीके बेहरा व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

हरियाणा सरकार ने किया राइट टू सर्विस एक्ट में संशोधन

चंडीगढ़।

हरियाणा सरकार ने अपने नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 में संशोधन किया है। अब यदि पदनामित अधिकारी या शिकायत निवारण प्राधिकारी निर्धारित समयावधि में आवेदन या अपील पर निर्णय नहीं करते हैं तो सेवा का अधिकार आयोग ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान ले सकेगा। आवेदन या अपील के निपटान में अनुचित विलंब पाए जाने पर आयोग उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा सेवा का अधिकार नियम, 2014 के नियम 9 को प्रतिस्थापित करते हुए एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। ये नियम 'हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2025' कहे जाएंगे। यदि किसी

सेवा में देरी पर अब स्वतः संज्ञान ले सकेगा आयोग

आवेदन या अपील के निपटान में अनुचित विलंब पाए जाने पर आयोग आयुक्त आदेश पारित कर सकेगा।

अधिसूचित सेवा का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने से पहले ही संबंधित मामला किसी न्यायालय या संबंधित विभाग के पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, तो उस स्थिति में आयोग अधिनियम की धारा 17 के तहत पदनामित अधिकारी या प्रथम अथवा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के विरुद्ध तब तक अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, जब तक कि न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय नहीं दिया जाता।

रोहतक जोन की बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 10 जुलाई को

चंडीगढ़।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है।

उपभोक्ता संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए है ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। बिजली निगम के प्रवक्ता ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार में एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों नामतः करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण रोहतक जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 10 जुलाई को रोहतक में की जाएगी। उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का भी निपटान किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छः महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाईस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने भापरा डंपिंग ग्राउंड का किया निरीक्षण

पानीपत/समालखा।

स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाईस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने बुधवार को गांव भापरा में चल रहे कचरा प्रबंधन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ समालखा नगर पालिका अध्यक्ष अशोक कुकल भी मौजूद रहे। निगम अधिकारियों के साथ निरीक्षण के दौरान उन्होंने कूड़े के निस्तारण के लिए चल रहे कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान सुभाष चंद्र ने देखा कि डंपिंग ग्राउंड में कूड़े का निस्तारण सही तरीके से हो रहा है या नहीं। उन्होंने कूड़े के निस्तारण के लिए इस्तेमाल की जा रही मशीनें और उपकरणों की भी जांच की। इसके अलावा, उन्होंने डंपिंग ग्राउंड के आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता और पर्यावरण की स्थिति का भी जायजा लिया। निरीक्षण के बाद वाईस चेयरमैन ने संबंधित अधिकारियों को डंपिंग ग्राउंड में कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के

निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि डंपिंग ग्राउंड के आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएं। उन्होंने गीले और सूखे कचरे के प्रबंधन और पर्यावरणीय खतरों को कम करने के लिए किए जा रहे उपायों पर जोर दिया। दौरे के दौरान कम्पनी के अधिकारियों ने वाईस चेयरमैन को कचरा पृथक्करण की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। जेबीएम कम्पनी की खामियों पर असंतोष व्यक्त करते हुए सुभाष चंद्र ने उन्हें कचरा निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों को कचरे से होने वाली दुर्गंध और कचरे को उड़ने से रोकने के लिए डंपिंग ग्राउंड के आसपास ऑब्सीजन देने वाले पेड़ पौधे लगाने की बात कही। सुभाष चंद्र ने बताया

जेबीएम कम्पनी के कार्य पर जताया असंतोष, डंपिंग ग्राउंड में स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने के दिए निर्देश

कि यह निरीक्षण डंपिंग ग्राउंड में कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था को बेहतर बनाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम इसे एक आदर्श मॉडल बनाएँ कि कैसे कचरे का प्रबंधन विज्ञानिक और सौंदर्यपूर्ण ढंग से किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस जगह को और अधिक स्वच्छ और हरित बनाने के लिए तेजी और कुशलता से काम करें। इस अवसर पर समालखा नगर पालिका सचिव मनीष कुमार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।

रेगुलर डिग्री के साथ डिस्टेंस मोड में इग्नू से कर सकते है डिग्री : डॉ धर्म पाल

पानीपत।

इग्नू क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्म पाल ने जानकारी देते हुए बताया की इग्नू बहुत ही सहज मानकों और कम फीस पर शिक्षा प्रदान कर रहा है और यह उन महिलाओं और अन्य लोगों के लिए फायदेमंद है, जिन्होंने 12वीं या कॉलेज के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी है।

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों को एक साथ दो डिग्री प्राप्त करने की अनुमति दी है, जिससे छात्रों को दो अलग-अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने और अपने करियर को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है।

एक डिग्री ऑफलाइन मोड और दूसरी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) मोड में इग्नू से कर सकते हैं। ध्यान रहे कि क्लिनिकल या ऑफलाइन मोड में दोनों कक्षाओं का समय एक न हो। आप डुअल डिग्री प्रोग्राम को एक या अलग-अलग

एक रेगुलर और इग्नू से एक डिस्टेंस मोड में डिग्री से निखरेगी दक्षता- डॉ धर्म पाल

एक रेगुलर और इग्नू से एक डिस्टेंस मोड में डिग्री से होगा दो विषयों का ज्ञान- डॉ धर्म पाल

विश्वविद्यालयों से कर सकते है। दोहरी डिग्री छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद करती है, जिससे नौकरी के बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ जाती है।एक साथ दो डिग्री प्राप्त करने से, छात्र कम समय में दो डिग्रियां प्राप्त कर सकते है, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। दोहरी डिग्री छात्रों को दो अलग-अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद करती है, जिससे उन्हें विभिन्न प्रकार के कौशल और ज्ञान प्राप्त होते है। दोहरी डिग्री छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार करती है, जिससे उनमें बहुमुखी प्रतिभा का विकास होता है। जो विद्यार्थी रेगुलर मोड में किसी पारम्परिक कॉलेज या यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, एजुकेशन कॉलेज या किसी अन्य कॉलेज से पढ़ाई कर रहे है ऐसे विद्यार्थी इग्नू से भी डिस्टेंस मोड कोई पाठ्यक्रम कर सकते है जिससे उनको उनके करियर को और अच्छा बनाने में सहायता मिलेगी, उनको स्किल्स इम्प्रूव होंगी, उनको दक्षता में निखार आएगा और उनको दो फील्ड्स की नॉलेज एक साथ होगी दोहरी डिग्री एक आकर्षक विकल्प है जो छात्रों को एक ही समय में दो अलग-अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने और अपने करियर को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले अभी चल रहे है जिसकी अंतिम तिथि 15 जुलाई है।

एसवाईएल पानी को लेकर भाजपा है प्रतिबद्ध : मंत्री कृष्ण पंवार

बहादुरगढ़।

बहादुरगढ़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि भाजपा एसवाईएल का पानी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा सरकार ने एसवाईएल का पानी लाने के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। कैबिनेट मंत्री पंवार बहादुरगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय रिदमिंग चैंपियनशिप में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। वहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एसवाईएल का पानी लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भाजपा सरकार ने हरियाणा की हिस्से का पानी पंजाब से लाने के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार ने बहादुरगढ़ के एच एल सिटी में स्थित चैंपियंस एक्वेटिक अकेडमी में आयोजित राज्य स्तरीय रिदमिंग चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ियों को पदक पहना

कर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की खेल नीति बहुत बेहतर है लेकिन खिलाड़ियों के हक में उन्होंने प्रदेश की खेल नीति का रिव्यू करने की बात कही। कृष्ण लाल पवार का कहना है कि देश की नई स्पोर्ट्स नीति खिलाड़ियों के लिए काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी देश में खूब नाम रोशन कर रहे है।

तैराकों के लिए 11 लाख की घोषणा

कृष्ण लाल पवार का कहना है कि हरियाणा कि नायब सैनी सरकार खिलाड़ियों के कल्याण के लिए काम कर रही है। इस अवसर पर हरियाणा ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष अंकित खत्री ने कृष्ण लाल पवार का स्वागत किया। वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पवार ने बहादुरगढ़ के तैराकों के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा भी की।

पराली सप्लाई चेन (फसल अवशेष प्रबंधन) पर अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2025 -26 के लिए पराली सप्लाई चेन (फसल अवशेष प्रबंधन) पर अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित किए है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक करोड़ अथवा 1.5 करोड़ रुपये तक कीमत का पराली सप्लाई चेन (फसल अवशेष प्रबंधन) से संबंधित प्रोजेक्ट लगाने पर हरियाणा के कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुदान दिया जा रहा है , इसके लिए 15 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यह आवेदन कृषि पोर्टल agriharyana.gov.in पर करना होगा। कृषि यंत्र निर्माता स्कीम में मशीनों की आपूर्ति हेतु पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। प्रवक्ता ने आगे बताया कि अनुदान के लिए दो विकल्प दिए गए है , इनमें प्रथम विकल्प के तहत परियोजना लागत का 65 प्रतिशत , 25 प्रतिशत उद्योग एवं 10 प्रतिशत एग्रीगेटर का अंशदान होगा।

बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे स्कूलों पर हाई कोर्ट सख्त, सिरसा में बच्चे की मौत पर लिया संज्ञान

चंडीगढ़। हरियाणा के सिरसा जिले के ममेरा कलां गांव में एक अवैध प्ले स्कूल में चार वर्षीय बच्चे अरमान की दर्दनाक मौत पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। एक समाचार पर स्वत संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार व डीसी सिरसा को इस मामले में एक अगस्त के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार सिरसा के ममेरा कलां गांव में एक अवैध रूप से संचालित प्ले स्कूल में बुनियादी सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी के चलते चार साल के मासूम अरमान की जान चली गई। समाचार के अनुसार यह प्ले स्कूल बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था यह 'स्माल वंडर प्ले स्कूल' न तो सरकार के किसी भी विभाग से पंजीकृत था और न ही उसमें बच्चों की सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम थे। प्रकाशित समाचार के अनुसार जिला बाल कल्याण समिति एक टीम ने स्कूल का निरीक्षण

किया। टीम को स्कूल में केवल एक उपस्थिति रजिस्टर मिला। जांच में यह भी सामने आया कि न तो जिला कार्यक्रम अधिकारी और न ही बाल विकास परियोजना अधिकारी ने इन स्कूलों को बंद करने के कोई नोटिस जारी किए। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से भारी लापरवाही की गई है। निरीक्षण के दौरान टीम को स्कूलों में शौचालय और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलीं। ये स्कूल रिहायशी मकानों में चलाए जा रहे थे। प्रकाशित समाचार के अनुसार मृतक अरमान मंगलवार सुबह स्कूल में वह अचानक बेहोश हो गया। करीब 30 मिनट तक वह अचेत अवस्था में पड़ा रहा और स्टाफ मीटिंग में व्यस्त रहा। जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन ने बच्चे की हालत को लेकर उन्हें गुमराह किया। समाचार के अनुसार सिरसा में दर्जनों ऐसे स्कूल है जिनमें बच्चों की सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम नहीं है और वे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे है। हाई कोर्ट ने इस समाचार को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान लेकर सरकार को इस मामले में जवाब दायर करने का आदेश दिया ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न घटे।

पराली सप्लाई चेन (फसल अवशेष प्रबंधन) पर अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित

चंडीगढ़। (वेबवार्ता) हरियाणा सरकार ने वर्ष 2025 -26 के लिए पराली सप्लाई चेन (फसल अवशेष प्रबंधन) पर अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित किए है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक करोड़ अथवा 1.5 करोड़ रुपये तक कीमत का +पराली सप्लाई चेन (फसल अवशेष प्रबंधन)+ से संबंधित प्रोजेक्ट लगाने पर हरियाणा के कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुदान दिया जा रहा है , इसके लिए 15 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यह आवेदन कृषि पोर्टल agriharyana.gov.in पर करना होगा। कृषि यंत्र निर्माता स्कीम में मशीनों की आपूर्ति हेतु पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। प्रवक्ता ने आगे बताया कि अनुदान के लिए दो विकल्प दिए गए है , इनमें प्रथम विकल्प के तहत परियोजना लागत का 65 प्रतिशत , 25 प्रतिशत उद्योग एवं 10 प्रतिशत एग्रीगेटर का अंशदान होगा। दूसरे विकल्प के तहत 65 प्रतिशत अनुदान एवं 35 प्रतिशत एग्रीगेटर का अंशदान होगा। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदन के बाद लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति तथा राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा किया जाएगा।

वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में महागठबंधन का बिहार बंद

महाराष्ट्र में जनादेश छीना, अब बिहार की बारी, तरीका नया साजिश पुरानी : राहुल गांधी

- 7 शहरों में ट्रेनें रोकीं, 12 नेशनल हाईवे जाम
- ईडी ऑफिस नहीं पहुंच सके राहुल-तेजस्वी
- सरकार ने चुनाव आयोग को भी अपने नियंत्रण में ले लिया
- औरंगाबाद में बिहार बंद का मिला-जुला असर
- वोटबंदी के जरिए गरीबों के हक छीनने की कोशिश

पटना ।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला है। पटना में इंडिया गठबंधन के चक्काजाम में प्रदर्शन करने पहुंचे राहुल गांधी ने अपना संबोधन दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव को महाराष्ट्र के तरह ही चोरी करने की कोशिश की जा रही है। गरीबों के हक को छीनने की साजिश रची जा रही है। लेकिन हमलोग ऐसा नहीं करने देंगे। हमलोग बिहार की जनता का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। इंडिया गठबंधन बिहार की जनता के साथ खड़ा है। राहुल कहा कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन जीतकर आया, जबकि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बुरी तरह हार गया। उस समय हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस गंभीर विषय पर काम शुरू किया। हमने जांच की तो पता चला कि लोकसभा से ज्यादा वोटर विधानसभा चुनाव में मतदान किया। आश्चर्यजनक ढंग से एक करोड़ वोट बढ़ गए। एक दिन में चार से पांच हजार वोट रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए। जब हमने चुनाव आयोग से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, तब चुनाव आयोग ने एक शब्द नहीं कहा। हमने चुनाव आयोग से कहा कि कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, लेकिन आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वे सच्चाई छिपाना चाहते हैं। यही खेल वे बिहार में भी करना चाहते हैं। मैं बिहार की जनता से कहता हूं कि जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार चुनाव भी चोरी करने की कोशिश की जा रही है। यह गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। उन्हें यह मालूम नहीं है कि यह बिहार है। बिहार की जनता अपना हक छिनने नहीं देगी। बिहार की जनता डरने वाली नहीं है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के अधिकारी भाजपा और आरएसएस के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। वे अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। उनका काम संविधान की रक्षा करना है। आप यह मत भूलिए कि कानून आपके ऊपर लागू होगा। कानून आपको नहीं छोड़ने वाला है।

आपका काम भारत के संविधान की रक्षा करना है। आपका काम बिहार की जनता के वोट की रक्षा करना है। पहले चुनाव आयुक्त को सभी पार्टियां और चीफ जस्टिस मिलकर चुनते थे, लेकिन अब केवल भाजपा ही चुनाव आयुक्त को चुनती है। यही सच्चाई है। बिहार की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि आपका वोट ही नहीं, भविष्य भी चोरी किया जा रहा है। लेकिन, इंडिया गठबंधन आप सबके साथ खड़ा है। हम लोग वोट की चोरी नहीं होने देंगे।

अवैध वोटरों के कंधे पर राजनीति करना चाहता है विपक्ष - रविशंकर

नई दिल्ली । पटना समेत राज्य के कई जिलों में आज विपक्षी इंडिया गठबंधन ने बिहार बंद बुलाया, जिसका मकसद था राज्य में मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया का विरोध करना था। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, जो जहां रहता है, उसे वहीं से वोट देना चाहिए। विपक्षी दल ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट में रखना चाहते है, जिनका वहां से कोई लेना-देना नहीं है। ये लोग घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाकर राजनीति करना चाहते है। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन मतदाता सूची के संशोधन का विरोध क्यों कर रहा है? क्या वे ऐसे लोगों को लिस्ट में रखना चाहते है जो वहां के निवासी नहीं है या जिनके नाम गलत तरीके से दर्ज किए गए है? उन्होंने कहा, चाहे वो रोहिंग्या हों या कोई और, जो लोग गलत तरीके से वोटर बने है, उन्हें हटाया जाना चाहिए। अगर वोटर लिस्ट की समीक्षा ईमानदारी से हो रही है, तो फिर विपक्ष को क्या दिक्कत है? रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे नेता सड़कों पर उतर रहे है, ये उनका अधिकार है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि क्या यह सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश है? क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है। वहीं, पटना में बिहार बंद के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा,महाराष्ट्र में जैसे चुनाव में धांधली हुई थी, वैसी ही कोशिश बिहार में भी की जा रही है।

तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर तीखा हमला

राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए उसे गोदी आयोग कह दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के इशारे पर बिहार के गरीबों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा, आज का बिहार बंद इसी बात को लेकर है कि कैसे चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा। एनडीए हार रहा है, इसलिए वो चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहा है।

गुजरात में पुल टूटा, चलती गाड़ियां नदी में गिरीं , 9 लोगों की मौत, 8 को बचाया

मध्य गुजरात का सौराष्ट्र से संपर्क टूटा

नई दिल्ली। गुजरात के वडोदरा जिले के पादरा तालुका में आणंद और पादरा को जोड़ने वाले एक पुल का हिस्सा ढह गया। पुल के टूटते ही कई वाहन महिसागर नदी में गिर गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई है, जबकि नौ लोगों को बचा लिया गया है। इस घटना पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दुख जताया और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने हादसे के शिकार हुए लोगों के लिए मुआवजे का भी एलान किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह आणंद और पादरा को जोड़ने वाले पुल का एक हिस्सा महिसागर नदी में गिर गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, दो ट्रक, एक बोलेरो एसयूवी और एक पिकअप वैन सहित चार वाहन पुल पार कर रहे थे, तभी अचानक यह ढह गया और कई वाहन महिसागर नदी में गिर गए। इस हादसे में नौ लोगों की मौत हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वाहनों के नदी में गिरने से पहले तेज आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस और वडोदरा जिला प्रशासन ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने भी घायलों को मलबे से निकालने में मदद की। अब तक तीन लोगों को बचाया गया और उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती किया गया है। एक स्थानीय निवासी ने कहा, ये पुल न केवल ट्रैफिक दुर्घटनाओं के हिसाब से खतरनाक है, बल्कि यहां आत्महत्या की कई घटनाएं भी हो चुकी है। इसकी स्थिति के बारे में बार-बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। बता दें कि यह पुल 1985 में बनाया गया था। गुजरात सरकार ने हाल ही में 212 करोड़ रुपए की लागत से एक नए पुल को बनाने की मंजूरी दी थी। फिलहाल मुख्यमंत्री ने तकनीकी विशेषज्ञों को घटनास्थल पर भेजकर जांच का आदेश दिया है।

पानी भरे गड्ढे में मिली चार मासूम बच्चों की लाश, एक दिन पहले से थे लापता

प्रयागराज में बड़ा हादसा

मेजा (प्रयागराज) ।

मेजा इलाके के बेदौली गांव से लापता चार मासूम बच्चों की बुधवार सुबह घर से कुछ ही दूरी पर पानी भरे गड्ढे में लाश उतराती हुई मिली तो सनसनी फैल गई। चारों बच्चों में दो भाई-बहन हैं। बाकी दो पड़ोसी हैं। सूचना पर मौके पर एसीपी मेजा एसपी उपाध्याय के साथ मेजा थाना अध्यक्ष राजेश उपाध्याय पहुंच गए। चारों बच्चों के शव को पहले सीएचसी रामनगर ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। घर में कोहराम मचा हुआ है। मेजा थाना क्षेत्र के बेदौली गांव के आदिवासी बस्ती के ज्यादातर लोग गांव में स्थित ईंट भट्ठा या मनरेगा में मजदूरी का काम करते हैं। उनकी बस्ती के पास ही ईंट भट्ठा संचालित होता है। ईंट भट्ठा संचालक द्वारा मिट्टी निकालने के चक्कर में बड़ा गड्ढा कर दिया गया है। जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ है। मंगलवार शाम तीन बजे बस्ती के लोग मनरेगा के काम में चले गए थे। शाम पांच जब बस्ती के लोग घर आए तो हीरा आदिवासी का बेटा हुनर (5), हीरा आदिवासी की बेटी वैष्णवी (3), संजय आदिवासी का बेटा खेसारी लाल (5) और विमल आदिवासी का बेटा कान्हा (5) वर्ष घर से लापता थे। इन चारों बच्चों की खोजबीन पूरी बस्ती के लोग काफी देर तक किए लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। मेजा पुलिस ने रात में ही चारों बच्चों के लापता होने पर गुमशुदगी दर्ज कर खोजबीन शुरू की थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। बुधवार सुबह छह बस्ती के लोगों की निगाह ईंट भट्ठा के बगल पानी भरे गड्ढे पर गई तो वहां पर चारों मासूम बच्चों की लाश उतराती हुई दिखी। ऐसे में सनसनी फैल गई। घर में कोहराम मच गया। बस्ती के लोगों ने चारों बच्चों की उतराती हुई लाश को बाहर निकाल लिया। सूचना पर एसीपी मेजा, एसडीएम मेजा सुरेंद्र प्रताप यादव सहित कई थानों की फोर्स पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक चारों बच्चे खेलते खेलते पानी भरे गड्ढे में चले गए। जिससे चारों मासूम बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने चारों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसडीएम मेजा ने बताया की चारों बच्चों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए सहायता के रूप में दिया जाएगा। मेजा थाना क्षेत्र के बेदौली गांव में पानी में डूबने से जिन चार बच्चों की मौत हुई है उसमें दो बच्चे सगे भाई बहन हैं। यह बच्चे हीरा आदिवासी के हैं। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना के बाद बस्ती में कोहराम मचा हुआ। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। परिवार के लोगों से घटना के बारे में जानकारी ली।

केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का ईडी को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली में आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने केजरीवाल की दो याचिकाओं पर ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान ईडी ने याचिकाओं के आधार पर सवाल उठाया, इस पर पीठ ने कहा कि ईडी हलफनामे में अपनी प्रारंभिक आपत्तियां दर्ज करा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।

चुरू में जगुआर फाइटर जेट क्रैश, दो लोगों की मौत; घटनास्थल पर मलबा बिखरा

चुरू/जयपुर । राजस्थान के चुरू में भारतीय वायु सेना का फाइटर जेट क्रैश हो गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक यह जगुआर फाइटर जेट है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर फाइटर जेट जैसा मलबा बिखरा पड़ा है। चुरू एसपी जय यादव ने बताया कि राजलदेसर थाना क्षेत्र के गांव भाणूदा में प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें दो लोगों की मौत हुई है। मौके पर राजलदेसर पुलिस को भेजा गया है। मलबे के पास से बुरी तरह क्षत-विक्षत शव के टुकड़े मिले है। यह ब्रिटिश-फ्रेंच सुपरसोनिक जेट अटैक एयरक्राफ्ट है। यह ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन में प्रयोग होने वाला सटीक स्ट्राइक विमान है। 36 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ने भरने में सक्षम है। डेढ़ मिनट में 30 हजार फीट की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। इसके साथ ही 600 मीटर के छोटे रनवे से भी टेकऑफ या लैंडिंग कर सकता है।

धर्म परिवर्तन के आरोपी छांगुर की कोठी पर दूसरे दिन भी गरज रहे बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने में लगीं 10 जेसीबी

बलरामपुर। बलरामपुर में धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की कोठी पर दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। बारिश थमते ही बुधवार की सुबह 11 बजे से बुलडोजर गरजने लगे। एक साथ पांच बुलडोजर लगाए गए, इसके बाद फिर पांच और बुलडोजर बुलाए गए। एसडीएम सत्येंद्र बहादुर ने बताया कि 10 बुलडोजर लगाए गए हैं।

पोकलैंड न मिलने से बुलडोजर की संख्या बढ़ाई गई है। इससे पहले, हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के

आलीशान अड्डे पर मंगलवार सुबह 11 बजे बुलडोजर गरजा। छांगुर ने इसे नीतू से नसरीन बनी मुंबई निवासी सिंधी महिला के नाम पर जमीन लेकर करीब 12 करोड़ रुपये में बनवाया था। निर्माण के दौरान ही दो बिस्वा सरकारी जमीन भी कब्जा ली। इसपर तहसील प्रशासन ने कोठी के उस हिस्से को अवैध घोषित कर ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया। सोमवार को नोटिस चस्पा करने के बाद कार्रवाई की भनक लगते ही कोठी में रहने वाले लोग गेट पर ताला जड़ बाहर चले गए थे। मंगलवार सुबह 11 बजे पुलिस व प्रशासन की टीम पहुंची। गैस कटर से ताला कटवाया और फिर तीन बुलडोजर परिसर में दाखिल हुए। गेट के बाएं तरफ बनवाई गई 40 कमरों की कोठी को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई। पिलर पर बनी कोठी काफी मजबूत थी, जिसे ढहाने के लिए दो बुलडोजर और मंगवाए गए।

मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को राहत नहीं, 13 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली । दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह आदेश तब पारित किया जब राणा को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। राणा 26/11 के मुख्य षड्यंत्रकारी अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 अप्रैल को उसके भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज करने के बाद उसे भारत लाया गया था। तहव्वुर राणा इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की कस्टडी में है। उससे 26/11 हमले से जुड़े मामलों में पूछताछ कर की जा रही है। बता दें पाकिस्तान से नाव में आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने करीब 60 घंटे तक मायानगरी को बंधक बनाए रखा था। आतंकियों ने इस दौरान 160 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने नौ आतंकियों को मौके पर ढेर कर दिया था, जबकि एक आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था।

पौधरोपण कर इनके संरक्षण के लिए काम करें-मुख्यमंत्री योगी

अयोध्या ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्राकृतिक आपदा का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। अमेरिका जैसे देश भी इससे सुरक्षित नहीं है। यह अनियोजित विकास का परिणाम है। ऐसे में हमें विकास के साथ पर्यावरण की रक्षा करनी ही होगी। पौधरोपण अभियान अपनी मां के नाम कृतज्ञता ज्ञापित करने का मौका देता है इसलिए इस अभियान को एक पेड़ मां के नाम नाम दिया गया है। आज के दिन पौधरोपण कर इनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए काम करें। सीएम योगी बुधवार को सरयू किनारे रामपुर हलवारा में एक

सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन, महंत और संतों से की मुलाकात

पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण महा अभियान के तहत सिटी फॉरेस्ट और किष्किंधा वन की सौगात देते हुए पौधरोपण करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास के साथ पर्यावरण को रक्षा करने के लिए कई तरह की तकनीक विकसित हो चुकी है। इससे पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

इन दोनों में संतुलन बनाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश में 204 करोड़ पौधे रोपित किए गए है। इनमें से 75 फीसदी से ज्यादा पेड़ जीवित है। पांच लाख एकड़ क्षेत्र में प्रदेश में वन क्षेत्र बढ़ा है। अब हम हीट वेव से ग्रीन वेव की ओर बढ़ रहे है। इससे पहले सीएम योगी ने त्रिवेणी वाटिका में नीम, पीपल और बरगद के पौधे रोपित किए। पौधरोपण महा अभियान का शुभारंभ करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पहले संकट मोचन हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन किया और प्रदेश की सुख-शांति की कामना की।

इसके बाद सीएम योगी ने श्रीरामलला के दरबार में हाजिरी लगाई, आरती की और सीएम ने दर्शन-पूजन के उपरांत निकलते समय आमजन का अभिवादन भी स्वीकार किया। वहीं मंदिर परिसर की परिक्रमा कर राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा लिया और राम दरबार में भी दर्शन पूजन किये।।

धारचूला में फटा बादल...मची तबाही, मोटर पुल और लकड़ी का पुल बहा, 50 से अधिक परिवार प्रभावित

पिथौरागढ़ जिले के धारचूला के तल्ला दारमा घाटी स्थित ग्राम पंचायत उमच्चिया के पास तीजम गांव में देर रात बादल फट गया। बादल फटने व तेज बारिश और नेहल गाड़ में जलस्तर के खतरनाक स्तर तक बढ़ने से भारी तबाही हुई है। इस घटना में पीएमजीएसवाई की सोबला उमच्चिया 2.13 करोड़ रुपये से बना 36 मीटर लंबा मोटर पुल और पीडब्ल्यूडी का तीजम और चलन तोक को जोड़ने वाली लकड़ी पुल बह गया, जिससे क्षेत्र में आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। वहीं, इससे 50 से अधिक परिवार पूरी रात परेशान रहा। जानकारी के अनुसार ऊपरी क्षेत्र में बादल फटने की आशंका जताई जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल बिष्ट और लक्ष्मी ग्वाल ने बताया कि नेहल गाड़ के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए और संभावित खतरे को देखते हुए 50 से अधिक परिवार अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थान वाले स्कूल और गोरखा रेजिमेंट के पोस्ट में जाकर अपनी जान बचाई और लोग डर से रातभर जागते रहे। पीएमजीएसवाई को 2.13 करोड़ रुपये की लागत से बना 47 टन वजनी मोटर पुल और तीजम-चलन तोक को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल नेहल गाड़ में बह गया। बिष्ट कॉलोनी में भूस्खलन से आठ से अधिक मकान खतरे की जद में आ गए। दो बिजली के खंभे बह जाने से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। एसडीएम जितेंद्र वर्मा ने बताया घटना की सूचना मिली है। नुकसान का आंकलन करने के लिए मौके में राजस्व विभाग की टीम भेजी जा रही है।

दिल्ली सरकार का एक फैसला : वाहन मालिकों को आठ दिन में ही हो गया लाखों रुपये का नुकसान, लोगों का बजट गड़बड़ाया

नई दिल्ली ।

दिल्ली सरकार ने एक जुलाई को 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर जो प्रतिबंध लगाया उसने कई लोगों का बजट तक गड़बड़ा दिया है। कई लोगों ने जहां अपनी महंगी गाड़ियां औने-पौने दाम पर बेच दीं जबकि कुछ ट्रांसपोर्टर ने जब्त होने के डर से वाहन से माल ढोना ही बंद कर दिया। हालांकि जनता के भारी विरोध, तकनीकी कठिनाइयों के चलते इस फैसले को वापस ले लिया गया है। इस निर्णय से लाखों वाहन मालिकों को राहत मिली है। हालांकि यह प्रतिबंध महज चार माह के लिए ही हटाया गया है। एक नवंबर से यह फिर से प्रभावी हो जाएगा और इस बार इसका दायरे में पूरा एनसीआर आएगा। पेट्रोल पंपों पर तैनात ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरों ने पुरानी गाड़ियों की पहचान की, जिसके चलते कई वाहनों को जब्त किया गया और चालान काटे गए। ऐसे में लोगों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार को प्रदूषण नियंत्रण के लिए दीर्घकालिक समाधान, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और उत्सर्जन परीक्षण को सख्त करना पर ध्यान देना चाहिए। चार साल पहले रिटायरमेंट के बाद एक डीजल डिजायर खरीदी थी, जो सिर्फ 7000 किलोमीटर चली है। पत्नी को फिजियोथेरेपी के लिए अस्पताल इसी गाड़ी से ले जाता था। एक जुलाई को पेट्रोल पंप पर मना कर दिया गया और कहा गाड़ी जब्त हो सकती है। डर के मारे मैंने इसे 50,000 रुपये में बेच दिया। अब बस से सफर करना पड़ रहा है। सरकार को पहले लोगों की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए था- सुरेश चावला, द्वारका निवासी ।12 साल पुरानी डीजल इको मेरे छोटे व्यापार के लिए लाइफलाइन थी। 2 जुलाई को उन्होंने सोचा कि अब गाड़ी बेकार हो जाएगी तो मजबूरी में स्क्रैप डीलर को 30,000 रुपये में बेच दिया। अब किराए की गाड़ी से माल ढो रहे है, जिससे खर्चा दोगुना हो गया है। आठ दिन में उनकी जिंदगी पटरी से उतर गई। सरकार को पहले नई गाड़ी खरीदने की सब्सिडी देनी चाहिए थी- -रमेश कुमार, व्यापारी नजफगढ़ । प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पुराने वाहनों पर लगे एनजीटी प्रतिबंध पर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महज दो दिन में जनता की परेशानी को समझते हुए प्रतिबंध पर पुनः विचार कर उसे स्थगित करने का निर्णय लिया है, यह उनकी संवेदनशील और जनहितकारी सोच का प्रमाण है। सचदेवा ने कहा, एनजीटी की ओर से 2015 में लगाए प्रतिबंध पर पिछली केजरीवाल सरकार और आतिशी ने कभी न्यायिक राहत लेने की कोई कोशिश नहीं की, जिससे वर्षों तक जनता परेशान रही। उन्होंने कहा कि अब जब भाजपा सरकार अदालत में जनता की आवाज रखने जा रही है, तो आतिशी इसे ''नाटक'' बता रही है।

आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा पुरानी गाड़ी को बचाने के लिए कोर्ट जाने की जगह कानून बनाए। यदि कानून बनाने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाती है तो आप उनका समर्थन करेगी। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि भाजपा को एक सप्ताह के अंदर कानून लाना चाहिए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि भाजपा सुप्रीम कोर्ट इसलिए जाना चाहती है ताकि उसकी अपील खारिज हो जाए और उसकी आड़ में वह छिप सके।